

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व बेमाली

भू अभिलेख निरीक्षक बेमाली  
तहसीलदार करेड़ा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली

तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्बन्ध

में खाता 1366, 168, 1425

संख्या 1425 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	बेमाली	1366, 168, 1425	वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से जारी निर्णय व डिडी की	खाता सं. 168, 1366, व 1425 में दर्ज आ. नं. 2705, 4199, 4041 में पूर्व जारी डिडी उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा सं. नं. 114/89 निर्णय दि. 12/06/1989 व तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मोटा रिपोर्ट पर आता है नम्बर आता है राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार करेड़ा से जारी आदेश दिये जाते हैं।

पालना नहीं देना। 12/06/1989 व तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मोटा रिपोर्ट पर आता है नम्बर आता है राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार करेड़ा से जारी आदेश दिये जाते हैं।  
उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
सहायक क्लर्क करेड़ा  
दिनांक: 30/6/22

क्रमांक/न्यायालय /2021/144

प्रतिलिपि:-

- 1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी करेड़ा  
सहायक क्लर्क करेड़ा  
जिला भीलवाड़ा